बी-14 फारम सं0-563

की क्रम संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/23	अभिलेख उपस्थापित। मो0 लोचनी देवी, पति स्व0 श्यामलाल महतो, ग्राम-बासाडीह, टोला तरवा टांड, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-चुरचु, मौजा-बासाडीह, थाना नं0-23, खाता संख्या-79, 37, प्लॉट संख्या-571, 572, रकवा क्रमशः 7.50डी0, 9.50डी0 कुल रकवा-17 डी0 भूमि यसवन्ती देवी, पति छोटो महतो, ग्राम-बासाडीह, टोला तरवा टांड, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-14/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-94/रा0 दिनांक-10.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, चुरचु को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।	
	अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग के पत्रांक 120 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –	
	क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदिका को भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत नवली देवी वगै0 हैं। खतियान के अनुसार प्रस्तावित प्लॉट का कुल रकवा 1.12 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 0.68 एकड़ है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-169/II पर खाता सं0-79, प्लॉट सं0-571, रकवा-0.30 एकड़ एवं पंजी-II के पृष्ठ संख्या-21/IV पर खाता सं0-37, प्लॉट सं0-572, रकवा-0.38 एकड़ स्वयं विक्रेता लोचनी देवी वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत् है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 1.53 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में मो0 लोचनी देवी, पति स्व0 श्यामलाल महतो, ग्राम-बासाडीह, टोला तरवा टांड, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-चुरचु, मौजा-बासाडीह, थाना नं0-23, खाता संख्या-79, 37, प्लॉट संख्या-571, 572, रकवा क्रमशः 7.50डी0, 9.50डी0 कुल रकवा-17 डी0 भूमि यसवन्ती देवी, पति छोटे महतो, ग्राम-बासाडीह, टोला तरवा टांड, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 17/6/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 17/6/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.19 13:30:50 +05:30
Location: 192.168.43.127